न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

निर्णयन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

केसल नम्बर
27/2025/प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा
19.03.2025

तारीख निर्णय
30.05.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन निवासी गणेश मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पुलिस स्टेशन के सामने टोंक रोड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024 मोबाईल नं. 8104161709
2–मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पुलिस स्टेशन के सामने टोंक रोड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री रोमेन्द्र गुर्जर एड. उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 30/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2024 को समय 02:30 ए.एम. पर मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पुलिस स्टेशन के सामने टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पुलिस स्टेशन के सामने टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 20 जार मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 800–800 ग्राम पैक **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्धी सिद्धी ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय

करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर अनुपस्थित एव पैंकिग की दिनांक अगस्त 2024 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में रखे 800–800 ग्राम के 20 जार मूल पैक में से 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4196 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4196 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पुलिस स्टेशन के सामने टोंक रोड उनियारा जिला ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/28 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/5147/एक्ट/2024/5116 दिनांक 13.12.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री रोमेन्द्र गुर्जर उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त

भातेरवा जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (टी. आर. रिद्वी सिद्वी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0